

कार्यालय, नगर पालिका-परिषद, रामनगर, वाराणसी।

सं० 555 / 14-15वॉ वि०/अव०नि०/रा०वि०/2020-21

दिनांक : नवम्बर 05, 2020

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

जिलाधिकारी महोदय द्वारा 14वॉ वित्त आयोग/15वॉ वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि के अन्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

- कार्य सं० 1, 5, 10, 11, 14 व 15 की निविदा दिनांक 13-11-2020 को पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय, जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, उपजिलाधिकारी सदर, तथा न०पा०परिषद, रामनगर, में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)/प्रभारी अधिकारी,स्थानीय निकाय, महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदाओं का विक्रय भी उपरोक्त 4 कार्यालयों पर दिनांक 12-11-2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक किया जायेगा।
- कार्य सं० 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 व 13 के कार्यों की निविदा 13-11-2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक पालिका कार्यालय पर रखे गये टेन्डर बाक्स में डाली जायेंगी, जो उसी तिथि को अपरान्ह 3.30 बजे अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल)/प्रभारी अधिकारी,स्थानीय निकाय, महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्रों का विक्रय दिनांक 12-11-2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक पालिका कार्यालय पर किया जायेगा।

क्र०	कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य(GSTसहित)	कार्य पूर्ण करने का समय
14वॉ वित्त					
1	वार्ड नं० 03 कोदोपुर में श्री बाला किशुन दीक्षित के मकान से रणविजय सिंह से होते हुये श्री रमाकान्त राय के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य।	7,25,156.00	10 प्रतिशत	750.00	20 दिन
2	वार्ड नं० 13 मुहल्ला रत्तापुर में श्री दुर्गा मिस्त्री के मकान से सुजीत गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,11,785.00	10 प्रतिशत	450.00	15 दिन
3	वार्ड नं० 18 मुहल्ला वारीगड़ही पूर्वी में मिनी ट्यूबेल के पास इण्टरलाकिंग का कार्य।	2,57,909.00	10 प्रतिशत	300.00	10 दिन
4	वार्ड नं० 11 मुहल्ला रामपुर दक्षिणी में शायर माता से जानकी मंदिर मोड़ तक नाली व मेनहोल निर्माण का कार्य।	3,74,661.00	10 प्रतिशत	400.00	15 दिन
5	वार्ड नं० 8 मुराहू से राजेन्द्र सोनकर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	5,19,017.00	10 प्रतिशत	550.00	20 दिन
6	वार्ड नं० 7 गोपाल लेखपाल से बुद्धी शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2,44,033.00	10 प्रतिशत	300.00	15 दिन
7	वार्ड नं० 7 मुहल्ला कुतलपुर में श्री सीताराम के मकान से श्री मेरश राजभर के मकान तक एवं रामदेव राजभर से बलदेव राजभर के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	2,99,742.00	10 प्रतिशत	300.00	15 दिन
8	वार्ड नं० 5 में कंचन देवी से मनीष केशरी के घर से होते हुये मुन्ना से चन्द्रजीत यादव के घर तक सीवर लाईन एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	4,04,155.00	10 प्रतिशत	450.00	20 दिन
9	वार्ड नं० 5 में बिहारी से सुखनन्दन के घर तक इण्टरलाकिंग एवं शीतला माता मंदिर से सरोज के घर तक चौका पत्थर रिसेटिंग का कार्य।	1,80,229.00	10 प्रतिशत	200.00	10 दिन
10	वार्ड नं० 12 छेदी लाल गुप्ता से सुशील सिंह के घर तक सीवर लाईन का कार्य।	8,23,861.00	10 प्रतिशत	900.00	20 दिन
11	वार्ड नं० 8 में मुराहू से सुशील सिंह सलूजा के घर तक सीवर लाईन का कार्य	6,44,486.00	10 प्रतिशत	700.00	15 दिन
12	वार्ड नं० 4 मुहल्ला नई बस्ती बघेलीटोला में श्री पारस के मकान के सामने से धर्मदेव विश्वकर्मा के मकान तक सीवर लाईन का कार्य।	2,47,821.00	10 प्रतिशत	300.00	10 दिन
13	वार्ड नं० 22 में लक्ष्मन मौर्या से मंगल सोनी से होते हुये रामजानकी आश्रम तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	3,74,182.00	10 प्रतिशत	450.00	15 दिन
15वॉ वित्त					
14	वार्ड नं० 3 में मोहन सिंह के घर से धीरेन्द्र मास्टर के घर इण्टरलाकिंग का कार्य।	5,40,014.00	10 प्रतिशत	600.00	15 दिन
राज्य वित्त					
15	साहित्यनाका पानी टंकी परिसर स्थित निर्मित गोशाला में चरनी, पानी टंकी व गेट का निर्माण	5,75,626.00	10 प्रतिशत	650.00	15 दिन

नियम एवं शर्तें :-

- निविदा के साथ जमानत की धनराशि नगद अथवा एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० के रूप में अधिशासी अधिकारी, न०पा०परिषद, रामनगर, के नाम से प्लेज्ड जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र टी-4, हैसियत प्रमाण पत्र टी-5, व्यापार कर प्रमाण पत्र, पैन कार्ड पत्र संलग्न करना होगा।
- निविदा के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप जिसे पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर स्व घोषणा पत्र (शपथ पत्र) टी-6 मूल रूप में संलग्न करना होगा। कार्य स्वीकृति के उपरान्त संबंधित ठीकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी एवं कोई भी या समस्त निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम अंकित करना होगा।
- नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
- जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संबंधित ठीकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, तथा कार्य के मध्य में एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की फोटोग्राफी कराकर उसकी प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- अन्य आवश्यक जानकारी अवर अभियन्ता से सम्पर्क करके प्राप्त की जा सकती है।
- ठीकेदारों को कार्यों के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में कराना आवश्यक होगा।

(प्रमोद कुमार पाण्डेय)

उपजिलाधिकारी सदर/अधिशासी अधिकारी।



(रेखा शर्मा)

अध्यक्ष।